**बिहार सरकार**

**ग्रामीण विकास विभाग**

पत्रांक 438585 पटना, दिनांक 29-08-2019

ग्रा0वि0-7(सा0वा0)विविध-04/2019

प्रेषक,

**सी0 पी0 खंडूजा,**
आयुक्त, मनरेगा ।

सेवा में,

**सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी के तहत दिनांक 01 से 15 अगस्त, 2019 तक आयोजित किये गये "वन महोत्सव-सह-सघन वृक्षारोपण अभियान, 2019" को 31 अगस्त, 2019 तक विस्तारित करने के संबंध में ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 427302 दिनांक 04.06.2019, पत्रांक 427643 दिनांक 07.06.2019 एवं पत्रांक 434769 दिनांक 26.07.2019

महाशय,

आप अवगत है कि प्रसांगिक विभागीय पत्रांक 427643 दिनांक 07.06.2019 एवं पत्रांक 434769 दिनांक 26.07.2019 द्वारा मनरेगा अंतर्गत सामाजिक वानिकी के तहत दिनांक 01 से 15 अगस्त, 2019 तक राज्य के सभी प्रखंडों / ग्राम पंचायतों में "वन महोत्सव-सह-सघन वृक्षारोपण अभियान" चलाकर जिलों के लिए संसूचित लक्ष्यानुरूप न्यूनतम 50 लाख पौधे लगाये जाने का निर्देश निर्गत है । उल्लेखनीय है कि प्रसांगिक पत्रांक 427302 दिनांक 04.06.2019 द्वारा वर्ष 2019-20 में मनरेगा अंतर्गत जिलों के लिए संसूचित वृक्षारोपण के लक्ष्य के अनुरूप दिनांक 15 अगस्त, 2019 तक वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिये जाने का निर्देश निर्गत है ।

कतिपय जिलों द्वारा लक्ष्य अनुसार वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करने हेतु और समय दिये जाने का अनुरोध किया गया है ।

अतएव उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत वृक्षारोपण संबंधी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु "वन महोत्सव-सह-सघन वृक्षारोपण अभियान, 2019" को 31 अगस्त, 2019 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है ।

अत: अनुरोध है कि उक्त आलोक में सघन वृक्षारोपण अभियान सफलतापूर्वक संचालित कर पूर्ण वृक्षारोपण के लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी अनुरोध है कि वनपोषकों के मजदूरी का भुगतान ससमय किया जाए ताकि रोपित पौधों की सुरक्षा और संवर्द्धन सुनिश्चित किया जा सके ।

विश्वासभाजन

22.08.19.

**(सी0 पी0 खंडूजा)**
आयुक्त, मनरेगा

7)